

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स 137]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 1969/भाद्र 7, 1891

No. 137]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 1969/BHADRA 7, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 28th August 1969

No. 22/1/69-S.R.—The term of the Committee to determine the surplus relateable to Telengana, appointed under the Ministry of Home Affairs' Resolution of even number dated 22nd April 1969 is further extended upto 31st October 1969.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to the Chairman and members of the Committee.

Ordered also that a copy of this Resolution be communicated to the Government of Andhra Pradesh, all Ministries of the Government of India, etc.

L. P. SINGH, Secy.

गृह मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1969

सं० 22/1/69-एस० आर०.—दिनांक 22 अप्रैल, 1969 को इसी संस्था के गृह मंत्रालय के संकल्प के अधीन नियुक्ति की गई, तेलगाना से सम्बन्धित बच्चा को निर्धारित धारने के लिए समिति की प्रवधि आगे 31 अक्टूबर, 1969 तक बढ़ा दी गई है।

आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रेषित की जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि आन्ध्र प्रदेश को, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को प्रेषित की जाये।

ल० प्र० सिंह, सचिव।